

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1331
19 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

'सेल' द्वारा अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश

1331. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री बी. मणिकम टैगोर:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने कंपनी में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अपने सभी नियमित कर्मचारियों हेतु एक अध्ययन प्रोत्साहन योजना आरंभ की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल का उद्देश्य क्या है तथा 'सेल' के कितने कर्मचारियों ने इस योजना को चुना है;
- (ग) अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश के दौरान 'सेल' के कर्मचारियों को किस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना है;
- (घ) क्या इस वर्तमान पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या में कमी करना है क्योंकि सेल में अपनी समकक्ष निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों की तुलना में तीन से चार गुणा अधिक नियमित कर्मचारी हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो क्या सेल इस योजना को आरंभ करके तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या को कम कर पाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सफलता मिली?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने दिनांक 01.12.2019 से अपने उन सभी नियमित कर्मचारियों के लिए अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश योजना शुरू की है जिन्होंने कंपनी में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश की इस योजना का उद्देश्य निम्नांकित के लिए कर्मचारियों को

अवसर प्रदान करना है (i) खुद को पुनः तरोताजा करने, सुविज्ञता/ज्ञान के उन्नयन के लिए अवकाश/ब्रेक का लाभ उठाना, (ii) किताब (किताबें) लिखना, संगीत, कला की रचना करना, अध्ययन दल के दौरों, अन्य कलात्मक/साहित्यिक कार्यों इत्यादि में भाग लेना, (iii) विभिन्न पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना (उदाहरणार्थ माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों इत्यादि के स्वास्थ्य संबंधी मामले), (iv) पति/पत्नी के साथ विदेश में /भारत में तैनाती के अन्य स्थान पर साथ रहना, (v) शौकों/अभिरूचियों जैसे कि हाइकिंग, साहसिक खेल-कूद इत्यादि में संलग्न रहना, (vi) तंदुरुस्ती के लिए किसी स्थान पर अल्पावास के लिए जाना, (vii) लोकोपचारी उद्देश्यों को जारी रखना, (viii) वैसे उद्यमिता संबंधी कार्य करना जिनका कंपनी के साथ हित का टकराव न हो और (ix) अन्यत्र नौकरी की तलाश करते हुए कार्य के भिन्न-भिन्न माहौल का स्वेच्छापूर्वक अन्वेषण करना। 14.09.2020 तक सेल के 15(पंद्रह) कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

(ग): योजना के अनुसार अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश का चयन करने वाले कर्मचारियों हेतु अनुज्ञेय लाभ निम्नलिखित हैं:-

(i) कंपनी के आवास की सुविधा, जैसा कि लागू तथा स्वीकार्य है, (एचआरए को छोड़कर) तथा कर्मचारी और परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए चिकित्सा लाभ जारी रहेंगे। तथापि, यदि कोई कर्मचारी किसी दूसरे संगठन में नौकरी करता है या उद्यमित संबंधी कार्य करता है तो कंपनी के आवास की सुविधा, यदि कर्मचारी द्वारा आवास रखा जाता है, के लिए बाजार की दरों पर प्रभार लगाया जाएगा और उसके खुद तथा आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा वापस ले ली जाएगी।

(ii) यदि कर्मचारी अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश अवधि के दौरान कोई व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करेगा तो वह व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने के लिए कंपनी की समय-समय पर यथा संशोधित मौजूदा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन की स्वीकार्यता के अध्यधीन पुनः कार्यभार ग्रहण करने पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा/होगी।

(iii) अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश के तहत लाभ आयकर अधिनियम/नियमों के अनुसार आयकर के अध्यधीन होंगे।

(घ) और (ड.): जी, नहीं।
